



जेपीआर 5-665

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302008
फोन नं0 - 0141-2747041, फैक्स नं0 - 0141-2744803
ईमेल - c_comml@yahoo.com

क्र0जेपीडी/अअ/वा./अधिअभि(वा-1)/जेपीआर/प्र0 1486 दिनांक - 20/9/12

आदेश


निगम स्तर की समझौता समिति के समक्ष प्राप्त प्रकरणों से जानकारी में आया है कि उपभोक्ता का मीटर कई महीनों/वर्षों तक त्रुटिपूर्ण रहने के बावजूद उसे औरता उपभोग की वजाय शून्य उपभोग का विद्युत विपत्र भेजा जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति अत्यन्त ही गंभीर है कि संबंधित किसी भी अधिकारी/कर्मचारी एवं बिलिंग एजेन्सी ने लंबे समय तक यह जानने का प्रयास भी नहीं किया कि उपभोक्ता विद्युत का उपभोग कर रहा है या नहीं। इस तरह की जानकारी के लिए बिलिंग एजेन्सी द्वारा शून्य उपभोग (Zero Consumption) का आउटपुट दिया जाता है। यदि इस आउटपुट के आधार पर ऐसे उपभोक्ताओं की जांच समय-समय पर कर ली जाती तो निगम को समय पर प्राप्त होने वाले राजस्व से वंचित नहीं होना पड़ता एवं दूसरी तरफ उपभोक्ता को भी एक साथ बड़ी हुई राशि के बिल जमा करवाने के कारण होने वाली अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।

अतः संबंधित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक राजस्व अधिकारी, लेजर कीपर एवं अन्य की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि आउटपुट रिपोर्ट के आधार पर ऐसे उपभोक्ताओं की प्रतिमाह जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही करें। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि ऐसे मीटर्स जो काफी समय से दोषपूर्ण या बन्द चल रहे हैं एवं जिनका पूर्व उपभोग प्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त मात्रा में दिखाई दे रहा है उनको तुरन्त बदला जाए। इस संबंध में निम्न निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैं :-

1. शून्य उपभोग वाले उपभोक्ताओं के परिसर एवं मीटरों का निरीक्षण परिशिष्ट-अ में दर्शाये अधिकारियों द्वारा हर माह नियमित रूप से किया जायेगा एवं तद्वारा बन्धी रिपोर्ट भी अपने नियन्त्रण अधिकारी को लिखित रूप में प्रेषित की जायेगी।
2. सभी संबंधित सहायक अभियन्ताओं/मीटरों के निरीक्षण के प्रगति की सूचना परिशिष्ट-ब में दर्शित प्रारूप में अपने अधिशाषी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित की जायेगी।
3. सभी संबंधित अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा अपने अधीनस्थ वृत्त की सूचना (उपरोक्त क्र.सं.-2) संकलित कर, सम्बन्धित सूचना प्रत्येक माह की 15 तारीख तक निगम मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे एवं सभी संबंधित अधिशाषी अभियन्ता अपने अधीनस्थ उपखण्डों में इस आदेश की पूर्ण रूप से पालना करवाने एवं तदनुसार बिलिंग हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

आज्ञा से


(एस0 सी0 शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता(वाणिज्य)

JAI PUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

STATEMENT SHOWING METERS HAVING ZERO CONSUMPTION CHECKED DURING THE MONTH OF

44/11/02-57

Checked by AEN:-

Sr. No.	Category	NO. of Consumers Intimated		No. of Consumer Checked		Meters Found Stop		Meters Found OK		% of Meters checked
		Up To SCL 10 KW	Above SCL 10 KW	Up To SCL 10 KW	Above SCL 10 KW	Up To SCL 10 KW	Above SCL 10 KW	Up To SCL 10 KW	Above SCL 10 KW	
1	Industrial Power(M)									
2	Industrial Power(L)									
3	Public Water Works(M)									
4	Public Water Works(L)									
5	Traction Railway									
6	Other consumers having supply on HT									
Consumers having supply on LT and Checked by JENs & other technical subordinates:-										
1	Domestic									
2	Non - Domestic									
3	Public Street Lighting									
4	Agriculture - Metered									
5	Nursery									
6	Poultry									
7	Industrial Power(S)									
8	Public Water Works(S)									
9	Bulk Supply to Mixed Load									
TOTAL										

"परिष्कार - न"

JAI PUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.**RESPONSIBILITY CENTERS OF METERS TO BE CHECKED FOR ZERO CONSUMPTION**

Sr. No.	Category	Officer responsible for checking	Officer to whom reported	Controlling Officer
1	Industrial Power(M)	Assistant Engineer	Executive Engineer	Executive Engineer
2	Industrial Power(L)			
3	Public Water Works(M)			
4	Public Water Works(L)			
5	Traction Railway			
6	Other consumers having supply on HT			

Consumers having supply on LT

Category	Up To SCL 10 KW	Above SCL 10 KW	Up To SCL 10 KW	Above SCL 10 KW	Up To SCL 10 KW	Above SCL 10 KW
1 Domestic	Other technical subordinate	Junior Engineer	Junior Engineer	Assitant Engineer	Assitant Engineer	Assitant Engineer
2 Non - Domestic						
3 Public Street Lighting						
4 Agriculture - Metered						
5 Nursery						
6 Poultry						
7 Industrial Power(S)						
8 Public Water Works(S)						
9 Bulk Supply to Mixed Load						